न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 17/2014 भंवरलाल वगैरह बनाम पिन्टू वगैरह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-6-21	प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की बहैसियत खातेदारी की मालिकाना कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि गांव सालावास तहसील लूणी के खसरा नंबर 565 रकबा 8 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का पैतृक क्रम में वादग्रस्त रकबा कृषि भूमि पर संवत 2008 के पहले से आज दिन तक लगातार मौके पर भौतिक रूप से शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त तथा उपयोग–उपभोग है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि से कभी भी बेदखल नहीं किया गया। अप्रार्थीगण पक्ष द्वारा प्रार्थीगण की बहैसियत खातेदारी की वादग्रस्त रकबा कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने, प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग नहीं करने एवं किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतकरण करने प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी जाकर दिनांक 07.03.2014 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतू भेजे जाकर तलब किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सी.पी. सी एवं संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 11 की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया की गांव सालावास तहसील लूणी के खसरा नंबर 565 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा में कृषि भूमि में प्रार्थीगण कोई कब्जा या खातेदारी अथवा मालिकाना अधिकार नहीं है और न ही उपयोग–उपभोग की रही है तथा प्रार्थीगण ने मनमाने ढंग से खसरा नंबर 565 की 8 बीघा भूमि के पड़ौस बताकर झुठा दावा पेश किया गया। जमाबन्दी में खसरा नं0 565 के अलावा अन्य भूमि खसरा नं0 564, 566, व 567 के अप्रार्थीगण खातेदार है तथा चारो खसरो के सम्पूर्ण रकबे पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का कब्जा ही नहीं था तो अप्रार्थीगण द्वारा उन्हे बेदखल किये जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण पक्ष का सम्वतः 2008 से अथवा उसके पूर्व से कोई कब्जा या काश्त नही रहा है। प्रार्थी ने 63 वर्ष पहले मौके पर अपना कब्जा होने का कथन किया है वह सरासर	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

गलत हे। विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर प्रार्थीगण का आज दिन तक कभी भी कोई कब्जा अथवा काश्त नहीं रहा। सम्वतः 1999 में खसरा नं0 564, 565, 566 व 567 की कुल 93 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्व० धरमा पुत्र उदा के नाम दर्ज की गई व धरमा के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम आज दिन तक लगातार रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने जिस दस्तावेज दिनांक 21.08.1986 का उल्लेख किया है वैसा कोई दस्तावेज कभी भी स्व. चुन्नीलाल अथवा अप्रार्थी हेमाराम ने निष्पादित नहीं किया। उक्त दस्तावेज पूर्णरूप से फर्जी है एवं प्रार्थी ने कुटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थीगण की भूमि हड़प करने का प्रयास किया है। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अथवा किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत प्रार्थीगण को कोई अधिकार अर्जित नहीं हुए है। अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के काबिज एवं अभिलिखित खातेदार है एवं उनके विरूद्ध किसी तरह की कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि हेतू मूल वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। जैसा कि प्रार्थीगण के कथन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का पैतृक कम में वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके पर भौतिक रूप से कब्जा–काश्त तथा उपयोग–उपभोग होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण ने दस्तावेज दिनांक 21.08.1986 का उल्लेख किया है जिसमें पांच रूपये स्टाम्प पर पारिवारिक समझौता में विवादग्रस्त कृषि भूमि के कुल 15 बीघा में 8 बीघा भूमि चून्नीलाल व हेमाराम का खेत प्रार्थीगण के पिता श्री भीकाराम की बहैसियत खातेदारी की नालिकाना कब्जा व काश्त की भूमि तय की गई। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तक धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 07.03.2014 को ताफैसला मूल वाद के निस्तारण पुखता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-6-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी